संख्या:430/2023/1096/35-4-2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:28 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र-शहर उत्तरी में सड़क निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों की रू. **287.96** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. **287.96** लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख छियानबे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1.	मोहल्ला अल्लापुर में अल्लापुर सत्येन्द्र शैल पुलिस चौकी के सामने राजेन्द्र के घर से विनोद एवं अचली श्रीवास्तव के घर के सामने इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य एवं प्रो0 एच0एन0 दुबे के घर से समृद्धि गर्ल्स हास्टल तक लेपन व नाली रिपेयर एवं पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य एवं अल्लापुर में मद्रास होटल के सामने गुप्ता इलेक्ट्रानिक से पी0के0 वर्मा के घर होते हुए अरविन्द पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य एवं अल्लापुर में सीमा कैफे के सामने स्काइलार्क गारमेन्ट से भानुप्रताप मिश्रा के घर होते हुए पूर्व सभासद मंजू मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य एवं अल्लापुर मे गुप्ता बिसकिट दुकान से अनिल त्रिपाठी एवं लक्ष्मण राय के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य।	0.560	36.37	36.37
2.	मोहल्ला अल्लापुर के अल्लापुर कोहर गढ़वा में गिरिजा शंकर सिंह एडवोकेट के मकान से रिन्कू शुक्ला के घर से शंकर के घर से गंगाराम भारतीय के आगे एस के मकान होते हुए, सघू अंडा कार्नर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य एवं अल्लापुर में यच0सी0 यादव के घर से पंकज जायसवाल अनीस के घर होते हुए विकास के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य।	0.690	39.70	39.70
3.	मोहल्ला अल्लापुर बाघम्बरी/तिलक नगर में अल्लापुर शिवाजी नगर बाघम्बरी पूरब एम0एल0 कान्वेंट के पीछेश्री राम आधार तिवारी के घर से एस0पी0 सिंह के घर होते हुए, लाल जी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य एवं अल्लापुर तिलक नगर प्रेमनारायण के घरं से बृजेश मिश्रा के घर होते हुए राजू निषाद जगत निषाद के घर होते हुए बासू सोनकर के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य एवं अल्लापुर तिलक नगर में प्रकाश शुक्ला, बेला सिंह एवं शरद पाण्डेय से ए0 पी0 दीक्षित दैनिक जागरण तथा हरिसोनकर से राजेश टेन्ट तक इण्टरलोकिंग एवं नाली का कार्य एवं अल्लापुर मे मनोज मिश्रा के घर से विकास सिंह के घर होते हुए संतोष सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.500	30.22	30.22
4.	मोहल्ला अल्लापुर में चन्द्रशेखर स्कूल से शकुन्तला निवास होते हुए, अजय गुप्ता के घर तक लेपन का कार्य एवं अल्लापुर में पदुम के घर से रिंकू माली एवं पदमानन्द ओझा से डामर रोड ज्ञान्ती सिंह तथा बच्चा यादव के घर से पटेल चक्की तक इण्टरलोकिंग एवं नाली का कार्य।	0.500	26.33	26.33
5.	मोहल्ला अल्लापुर/टैगोरटाउन के अल्लापुर में ए0यन0 चर्तुवेदी के घर से पंकज श्रीवास्तव के घर होते हुए पलटू के घर तक लेपन एवं नाली का कार्य एवं अल्लापुर में रमेश जनरल स्टोर के बगल से शिवबाबू तथा मौर्या चक्की से रवीन्द्र प्रताप तथा विदया सिंह के घर से लकी के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली एवं ज्ञान सिंह के पास अतिरिक्त नाली निर्माण एवं अल्लापुर में आशीष जनरल स्टोर से चन्दन भट्ट के घर होते हुए श्याम प्रकाश रावत के घर तक	0.580	30.23	30.23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य एवं टैगोर टाउन वंशी मिष्ठान से बाजपेई डेण्टल हास्पिटल तक पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य एवं बारह बंगलिया कालोनी में प्रवीण जैन के घर से डा0 अरुण कान्त के घर होते हुए डा0 बी0बी0 पाण्डे के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।			
6.	मोहल्ला अशोक नगर/सरकिट हाउस/नेवादा/गंगा नगर/राजापुर के पुष्पाजंलि कालोनी अशोक नगर में गेट से कवि दयाल मिश्रा के घर तक पी0सी0 रोड एवं पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य एवं सरकिट हाउस के बगल मुख्य मार्ग पर डा0 देवराज सिंह के घर के सामने शकील अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य एवं नेवादा पत्रकार कालोनी मोनू के घर से डीपी चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का कार्य एवं गंगा नगर राजापुर मे कन्हैया लाल रानी देवी शंकर मौर्या वाली गली मे इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य एवं राजापुर बाला जी मेडिकल स्टोर के सामने राधवेन्द्र की दुकान से कृष्णा देवी पत्नी मोहन के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.590	31.88	31.88
7.	मोहल्ला शिवकुटी/कोयला काडी में आर0पी0 मिश्रा के मकान से गुडडा के मकान तक एंव पी0के0 आनन्द से बब्लू के मकान तक एवं नरेन्द्र कुमार से पाल के माकन तक निन्दा जनरल स्टोर तक किरण शुक्ला के मकान होते हुए, अतुल कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.520	29.86	29.86
8.	मोहल्ला चाँदपुर सलोरी/स्टेनली रोड में श्री जगदीश चन्द्र जोशी के मकान से ओम प्रकाश गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं चाँदपुर सलोरी राजेन्द्र गार्डेन से नन्द लाल शर्मा के घर तक इण्टरलकिग एवं तरफ नाली का निर्माण कार्य एवं चाँदपुर सलोरी में श्री गायत्री प्रसाद मिश्रा के घर से श्री नवीन शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य एवं स्टैनली रोड पर संस्कार प्लेस्कूल से राष्ट्रपति खरे के घर से होते हुए, मायकू एवं प्रो0 आर0पी0 मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	0.600	36.05	36.05
9.	मोहल्ला गंगा नगर राजापुर/कैण्ट के गली नं0 2 गंगा नगर राजापुर मे रमेश हेला के घर से दिनेश चन्द्रा के घर तक इण्टरलकिग एवं नाली का निर्माण कार्य एवं गली नं0 2 गंगानगर राजापुर मे शब्बू नाई के घर से बब्बू पासी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं गली नं0 गंगानगर राजापुर में नाथूराम बाँध के घर से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं गंगा नगर राजापुर मे सुनीता दीदी के घर के पास नीरज जनरल स्टोर से केदार नाथ के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं गंगा नगर राजापुर मे नाले के सामने संजय के घर से बंटी जनरल स्टोर एवं अमित सोनकर के सामने नाले पर कवर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं गंगा नगर राजापुर मे बंटी जनरल स्टोर के बगल पवन कुमार से ज्योति प्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य एवं गंगा नगर राजापुर मे जे0के0 घर से इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य एवं कैण्ट तपोवन पार्क कालोनी कैण्ट में मुख्य मार्ग से श्याम विहारी के मकान तक लेपन एवं नाली निर्माण कार्य।	0.630	27.32	27.32
	योग:	**5.170**	**287.96**	**287.96**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
10. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
15. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2023 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
17. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
18. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
19. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
20. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
21. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
22. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पतियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
24. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. **2,87,96,000** (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370302 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:430/2023/1096(1)/35-4-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रयागराज।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।